न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. जगदीश आयु 68 साल
2. अजीत आयु 48 साल
3. लालजीत आयु 58 साल

} पिसरान मानिक जाति मीना निवासी दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट्स

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मण्डरायल जिला करौली(राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय तहसीलदार मण्डरायल निर्णय दिनांक 15.06.2018 मुं0 नं0 01/2018 उनवानी सरकार बनाम जगदीश वगै0 धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 23.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दरगवां के खसरा नं. 160 किस्म चरनोट के रकबा 0–01 बीघा पर बोरिंग कर, खसरा नं. 19/2 रकबा 3–19 बीघा गैर मुमकिन बीहड़ में अवैध कब्जा एवं 0–01 बीघा पर पाटौरपोश मकान बनाकर कुल 4–01 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत तहसीलदार मण्डरायल ने निर्णय दिनांक 15.06.2018 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले मंसूख है। आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 0–01 बीघा किस्म चरनोट में अपीलाण्ट द्वारा एक विस्वा जमीन के अंदर पानी का बोर लगाना बताया है तथा खसरा नम्बर 19/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन बेहड पर अवैध कब्जा व मकान पाटोरपोश बनान अपने निर्णय में दर्ज किया है जबकि उक्त सरकारी जमीन से अपीलाण्ट का कोई संबंध ना कभी है ना कभी रहा है ना है। जो बोर बना हुआ है वह सावर्जनिक गांव वालो ने आम जनता को पानी पीने के लिये सार्वजनिक हित में लगाया है तथा पाटोर भी छाया के लिये खिरकारी के रूप में मवेशी चराने वालों ने डलवाई है जिससे अपीलाण्ट्स का किसी प्रकार का कोई संबंध या ताल्लुक नही है। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के आधार पर ही निर्णय दिया है जबकि मौके पर कोई पाटोर पोश इस समय नहीं है और उतार ली गयी है। अदालत मातहत ने तीनों अपीलाण्ट्स को एक नोटिस धारा 91 का दिया है क्योंकि तीनो अपीलाण्ट्स अलग–अलग रहते है। मय गृहस्थी के अलग–अलग मकान है, अलग–अलग राशनकार्ड है, अलग–अलग कमाई है, अलग–अलग जगह पर रहते है। तीनों के खिलाफ एक कार्यवाही, एक निर्णय करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने दिनांक 15.06.2018 अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में यह निर्णय दिया गया है जो गलत है। अपीलाण्ट्स को रेस्पोण्डेण्ट द्वारा कोई सफाई, सबूत व साक्ष्य के लिये मौका नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट्स की मौजूदगी में कोई मौका देखा है, मौके की कार्यवाही एक पक्षीय हल्का पटवारी ने पेश की है, उस रिपोर्ट को मानते हुये अदालत मातहत ने 3 माह की सिविल कारावास की सजा व 220 रूपया की 50 गुणा शास्ती 11000 रूपया कायम की गयी है तथा बेदखली के आदेश दिये है। अपीलाण्ट्स बाल बच्चेदार कृषक है। अपीलाण्ट्स को जेल भेज दिया गया तो अपीलाण्ट्स की गृहस्थी भूखी मर जावेगी घर में अकेले कमाने वाले है। तीन गृहस्थीया खाने वाली है। सरकारी जमीन से कब्जा छोडा जा

23/10
जिला कलक्टर
करौली

चुका है। अब कोई कब्जा नही है। पूर्व में अदालत मातहत में जो जवाब पेश किया उसमें भी कब्जा छोडे जाने का पूर्ण विवरण है। अदालत मातहत ने कोई मौका भी नही देखा है। अपने मनमाने तरीके से निर्णय देकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने पूर्व में कभी भी बेदखल नही किया। करीब 30 साल से नाजायज हल्का पटवारी पैनल्टी लेता चला आ रहा है जिसकी रसीद अपीलाण्ट्स के पास मौजूद है। कभी भी 91 के कोई नोटिस नही दिये गये। इस पर भी अदालत मातहत ने कानूनी रूप से भूल की है। अपीलाण्ट्स को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 16.07.2018 को पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर उक्त निर्णय की नकल की दर0 दिनांक 18.07.2018 को पेश की है तथा नकल दिनांक 19.07.2018 को प्राप्त हुई है तब कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर यह अपील अंदर मियाद पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि ग्राम दरगवां के खसरा नं. 160 किस्म चरनोट के रकबा 0–01 बीघा पर बोरिंग कर, खसरा नं. 19/2 रकबा 3–19 बीघा गैर मुमकिन बीहड़ में अवैध कब्जा एवं 0–01 बीघा पर पाटौरपोश मकान बनाकर कुल 4–01 बीघा भूमि पर बीघा पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था। इसके उपरांत स्वयं अपीलार्थीगण असालतन व वकालतन उपस्थित हुए एवं जवाब भी प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीगण का कब्जा साबित पाये जाने पर आदेश दिनांक 15.06.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नं. 160 किस्म चरनोट के रकबा 0–01 बीघा पर बोरिंग कर, खसरा नं. 19/2 रकबा 3–19 बीघा गैर मुमकिन बीहड़ में अवैध कब्जा एवं 0–01 बीघा पर पाटौरपोश मकान बनाकर कुल 4–01 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थीगण ने असालतन व वकालतन उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अतः अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत् है। लेकिन अपीलार्थीगण का कथन है कि बोरिंग अपीलार्थीगण द्वारा नहीं बनबाई जाकर आमजनता द्वारा खिरकारी में पानी पीने हेतु लगवाई है, पाटौर भी उतार ली गई है तथा 3–19 बीघा पर भी अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की पुनः जांच किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मण्डरायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली